B-344
L-13
Polity.

# विधि की उचित प्रक्रिया

1) मेनका गांधी बाद में (1978) उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद के द्वारा निर्मित विधि एवं उसकी प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के अनुरूप होनी चाहिए।

2) संविधान में अथवा किसी विधि में प्राकृतिक न्याय के विचारों का उल्लेख नहीं किया गया है अपितु प्राकृतिक न्याय प्रत्येक विधि में अंतर्निहित विधि की आत्मा या भावना है। जिसके अनुसार -

(i) बिना सुनवाई के किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जायेगा।

(ii) दण्ड की मात्रा अपराध के अनुसार / अनुपात में होनी चाहिए।

(iii) दण्ड देने का अधिकार किसी अधिकारिक सत्ता को ही है।

(iv) कोई व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता।

उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि संसद को विधि बनाने का अधिकार है लेकिन यह विधि मनमानी और अतार्किक नहीं होनी चाहिए तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप होनी



Scanned by CamScanner

चाहिए जिसे विधि की उचित प्रक्रिया या Due process of Law कहा गया जैसा कि अमेरिकी संविधान में उल्लेखित है।

- न्यायालय ने जैसे ही यह कहा कि अनुच्छेद-21 और अनुच्छेद 19 एक दूसरे के पूरक हैं इसका अभिप्राय है कि जीवन के अधिकार को सीमित करने के लिए भी विधि में उल्लेखित प्रक्रिया तार्किक होनी चाहिए।
- और विधि की उचित प्रक्रिया का स्पष्ट आशय है कि न तो पुलिस या कार्यपालिका मनमानी रूप से जीवन के अधिकार का हनन करेगी और न ही विधायिका को यह अधिकार होगा।

विधि

⇓

संसद

| स्थापित ↓ प्रक्रिया -(शब्द) | सन्दर्भ ↓ उचित |
|---|---|
| (i) संसद को प्राथमिकता | (i) न्यायालय को |
| (ii) प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं | (ii) प्रक्रिया तार्किक / मनमानी |
| (iii) कार्यपालिका | (iii) विधायिका, कार्यपालिका |

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR



Scanned by CamScanner

# न्यायालय की बढ़ती शक्तियाँ

- मेनका गांधी वाद से भारत में न्यायिक विधायन की परम्परा आरंभ हुई क्योंकि अब न्यायपालिका ने विधि की प्रक्रिया पर सवाल उठाना प्रारम्भ कर दिया। जिससे न्यायालय की शक्तियों में वृद्धि हुई।
- संसद ने इस प्रवृत्ति पर आपत्ति व्यक्त की और यह कहा कि विधायिका के कार्यों में न्यायपालिका हस्तक्षेप कर रही है।
- हाल ही में उच्चतम न्यायालय के द्वारा PMLA (Prevention of Money Laundering Act) की सुनवाई करते हुए कहा गया कि अधिनियम में उल्लेखित प्रक्रिया अतार्किक और मनमानी है क्योंकि अनावश्यक रूप में किसी व्यक्ति को जमानत देने से प्रतिबंधित करना असंवैधानिक है जो अनुच्छेद-21 का उल्लंघन है।

जीवन के अधिकार का विस्तार

- त्वरित सुनवाई (हुसैन आरा खातून)
- अलग जेल में रखने का अधिकार (सुनील बत्रा)

- यौन शोषण के विरुद्ध अधिकार (विशाखा वाद)
- अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा (मोहिनी जैन वाद)



Scanned by CamScanner

• रेड़ी पटरी वाले के अधिकार (ओलगा हेलिस)

* मृत्यु का अधिकार नही है। (अरूणा शानबाग)

मनमानी हिरासत और बंदी बनाये जाने के विरूद्ध अधिकार :-

1.) अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 एक दूसरे से घनिष्ट रूप से जुड़े हुए हैं। अनुच्छेद 22 में जो अधिकार प्रदान किये गए हैं उनमें निम्नलिखित सिद्धांत हैं:

(a) हिरासत और बंदी बनाए जाने के आधार की जानकारी :- क्योंकि अनुच्छेद 22 (A) में उल्लेखित है कि व्यक्ति को यथाशीघ्र हिरासत में रखने के आधारों की जानकारी दी जायेगी।

(b) विधि व्यवसायी से परामर्श कर अपनी रक्षा का अधिकार- व्यक्ति को अपनी पसंद के विधि व्यवसायी से परामर्श का अधिकार होगा।

(c) पुलिस कस्टडी :- किसी भी व्यक्ति को हिरासत में रखने के 24 घंटे के भीतर निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसमें



KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

Scanned by CamScanner

यात्रा का समय नही जोड़ा जायेगा।

(d) न्यायिक हिरासत :- किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक है। न्यायिक हिरासत सामान्यतः अपराध की प्रकृति पर निर्भर करती है।

(e) निवारक नजरबंदी :- अनुच्छेद-22 के (1) और (2) में मनमानी हिरासत के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है लेकिन अनुच्छेद 22(3) में यह भी उल्लेखित किया गया है कि उपरोक्त अधिकार दो प्रकार के व्यक्तियों को प्राप्त नही होंगे।

(i) विदेशी शत्रु
(ii) निवारक नजरबंदी में रखे गए व्यक्ति।

VAPA - Violence Against Persons (Prohibition) Act

NSA - National Securities Act

COFEPOSA - Conservation of foriegn Exchange and prevention of Smuggling Act

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR



Scanned by CamScanner